न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 112/2017

A9

1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड बी (किकरचक) तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड बी (किकरचक) तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. बलदेव सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. राजवन्त सिंह

} पिसरान श्री करतार सिंह जातियान जटसिख साकिनान मलकानां कलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

4. बलजीत कौर पत्नी स्व. श्री गुरदेव सिंह
5. रमनदीप सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदेव सिंह
6. जसप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री बलजिन्द्र सिंह
7. लखवीर सिंह पुत्र स्व. श्री बलजिन्द्र सिंह
8. गुरवीर सिंह पुत्र स्व. श्री बलजिन्द्र सिंह

} जातियान जटसिख साकिन मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, करणपुर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादीगण
2.	श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.07.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 8 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा स्व. श्री करतार सिंह पुत्र श्री खजान सिंह के उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, स्व. श्री करतार सिंह के पुत्रगण, 4 ता 8 मृतक पुत्र गुरदेव सिंह के उत्तराधिकारी व वादीगण, मृतक पुत्र सुखदेव सिंह के उत्तराधिकारी हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा, ससुर, पिता श्री करतार सिंह के पास चक 15 एल.एन.पी. सैकिण्ड (बी), चक 2 यू व चक 1 टी में कृषि भूमि थी, वादीगण के दादा/ससुर श्री करतार सिंह का देहान्त हो चुका है तथा उनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि का वारिसान यानि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है, वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पास निम्नलिखित कृषि भूमि है :–

1. चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय (बी) तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 96 का मुरब्बा नम्बर 9, 20, 21 व 29 की 7.590 हैक्टर कृषि भूमि।
2. चक 1 टी. तहसील करणपुर का खाता संख्या 19 का मुरब्बा नम्बर 48, 49 की 8.840 हैक्टर कृषि भूमि।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

3. चक 1 टी. तहसील करणपुर का खाता संख्या 20 का मुरब्बा नम्बर 1, 28, 29, 45, व 52/22 की कुल 9.961 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 3.225 हैक्टर।
4. चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 14 का मुरब्बा नम्बर 46 व 47 की कुल 3.693 हैक्टर में से 1.415 हैक्टर कृषि भूमि।
5. चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 24 का मुरब्बा नम्बर 11 की 6.323 हैक्टर कृषि भूमि में से 2.105 हैक्टर बारानी कृषि भूमि।
6. चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 61 का मुरब्बा नम्बर 65, 78 व 84/14 की कुल 6.577 हैक्टर बारानी, नहरी मय रास्ता मय खाला कृषि भूमि में से 1.012 हैक्टर।
7. चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 105 का मुरब्बा नम्बर 46, 63, 64, 74 व 84/15 की 8.047 हैक्टर बारानी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि में से 7.213 हैक्टर।
8. चक 2 यू तहसील करणपुर का खाता संख्या 110/95 का मुरब्बा नम्बर 18 व 84 की कुल 5.817 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला में से 2.916 हैक्टर कृषि भूमि।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार था तथा इसके नाम की समस्त सम्पत्ति संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति थी, चूंकि परिवार में से श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र श्री करतार सिंह व बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह का देहान्त हो जाने के कारण परिवार काफी बड़ा हो गया था तथा रकबा 2 तहसीलों में तथा कई खातों में होने के कारण काश्त में कई व्यवहारिक दिक्कते आती थी तथा लगान व आबियाना आदि अदा करने, सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व ऋण आदि प्राप्त करने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत, अच्छी आबपाशी अनुसार, हक व हिस्सा अनुसार, उपजाउ व कम उपजाउ किस्म के अनुसार आज से काफी समय पूर्व अपनी कृषि भूमि का मौखिक घरेलू बंटवारा कर लिया था। इस घरेलू बंटवारा अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि पर काबिज हैं तथा बिना किसी रूकावट के अपने अपने हिस्सा में आए रकबा का उपयोग व उपभोग कर रहें हैं।

घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

1. <u>वादीगण का हिस्सा :–</u> चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय (बी) तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 96 का मुरब्बा नम्बर 9, 20, 21 व 29 की 7.590 हैक्टर कृषि भूमि जिसमें से वादी संख्या 1 कुलदीप सिंह का 5.566 हैक्टर हिस्सा व वादिया संख्या 2 श्रीमती जसवीर कौर का 2.024 हैक्टर हिस्सा।
2. <u>प्रतिवादीगण का हिस्सा :–</u> चक 1 टी. व चक 2 यू. तह0 श्रीकरणपुर की भूमि

इस प्रकार घरू बंटवारा के अनुसार वादीगण को 7.590 हैक्टर नहरी कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है, जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहें है तथा मौका पर काश्त कर रहें है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा वादीगण को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, उक्त रकबा का तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए सक्षम कार्यालय में उपस्थित होकर सहमति से अपने हस्ताक्षर कर देगें। इस विश्वास पर वादीगण ने अपने हिस्सा में आए हुए उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है।

कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो वह टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 20.05.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने वादीगण को सहमति से कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर देने से साफ इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है।

वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

लगातार 3

अधिकारी (राजस्व)

1. चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय (बी) तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 96 का मुरब्बा नम्बर 9, 20, 21 व 29 की 7.590 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 कुलदीप सिंह को 5.566 हैक्टर का व वादिया संख्या 2 श्रीमती जसवीर कौर को 2.024 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे व इस खाते में से अन्य खातेदारान के नाम विलोपित किए जाकर उक्तानुसार भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री रोबिन गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा के आधार पर वाद निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं :–

1. चक 15 एल.एन.पी द्वितीय (बी) तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 96 के मुरब्बा नम्बर 9, 20, 21 व 29 की 7.590 हैक्टर कृषि भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है, में से 5.566 हैक्टर भूमि का खातेदार वादी कुलदीप सिंह को व 2.024 हैक्टर भूमि की खातेदार वादिया जसवीर कौर को घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे।
2. चक 1 टी. तहसील करणपुर के खाता संख्या 19 का मुरब्बा नम्बर 48, 49 की 8.840 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 1.155 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.577 हैक्टर भूमि, इसी चक 1 टी. के खाता संख्या 20 का मुरब्बा नम्बर 1, 28, 29, 45, व 52/22 की कुल 9.961 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.430 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.215 हैक्टर भूमि व चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 14 का मुरब्बा नम्बर 46 व 47 की कुल 3.693 हैक्टर में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.207 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.104 हैक्टर भूमि, इसी चक 2 यू. के खाता संख्या 24 का मुरब्बा नम्बर 11 की 6.323 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.702 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.351 हैक्टर भूमि व चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 61 का मुरब्बा नम्बर 65, 78 व 84/14 की कुल 6.577 हैक्टर बारानी नहरी मय रास्ता मय खाला कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.337 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.169 हैक्टर भूमि व चक 2 यू तहसील करणपुर का खाता संख्या 105 का मुरब्बा नम्बर 46, 63, 64, 74 व 84/15 की 8.047 हैक्टर बारानी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 1.012 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.506 हैक्टर भूमि व चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 110/95 का मुरब्बा नम्बर 18 व 84 की कुल 5.817 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.388 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.194 हैक्टर भूमि में से 3/4 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर व शेष 1/4 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को बहिस्सा बराबर व 1/4 में से 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा इस भूमि में से वादीगण का नाम विलोपित कर दिया जावे।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का कोई प्रतिवादी नहीं होनें व लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश :–

अतः उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीगण एवम् प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :–

1. चक 15 एल.एन.पी द्वितीय (बी) तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 96 के मुरब्बा नम्बर 9, 20, 21 व 29 की 7.590 हैक्टर कृषि भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है, में से 5.566 हैक्टर भूमि का खातेदार वादी कुलदीप सिंह को व 2.024 हैक्टर भूमि की खातेदार वादिया जसवीर कौर को घोषित किया जाता है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे।
2. चक 1 टी. तहसील करणपुर के खाता संख्या 19 का मुरब्बा नम्बर 48, 49 की 8.840 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 1.155 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.577 हैक्टर भूमि, इसी चक 1 टी. के खाता संख्या 20 का मुरब्बा नम्बर 1, 28, 29, 45, व 52/22 की कुल 9.961 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.430 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.215 हैक्टर भूमि व चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 14 का मुरब्बा नम्बर 46 व 47 की कुल 3.693 हैक्टर में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.207 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.104 हैक्टर भूमि, इसी चक 2 यू. के खाता संख्या 24 का मुरब्बा नम्बर 11 की 6.323 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.702 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.351 हैक्टर भूमि व चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 61 का मुरब्बा नम्बर 65, 78 व 84/14 की कुल 6.577 हैक्टर बारानी नहरी मय रास्ता मय खाला कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.337 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.169 हैक्टर भूमि व चक 2 यू तहसील करणपुर का खाता संख्या 105 का मुरब्बा नम्बर 46, 63, 64, 74 व 84/15 की 8.047 हैक्टर बारानी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 1.012 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.506 हैक्टर भूमि व चक 2 यू. तहसील करणपुर का खाता संख्या 110/95 का मुरब्बा नम्बर 18 व 84 की कुल 5.817 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला में से वादी कुलदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.388 हैक्टर व वादिया जसवीर कौर के नाम से दर्ज 0.194 हैक्टर भूमि में से 3/4 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर व शेष 1/4 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा भूमि का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(राजस्व वाद संख्या :– 112/2017 अनवान कुलदीपसिंह बनाम बलदेवसिंह)

.............5.............

प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को बहिस्सा बराबर व 1/4 में से 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है अतः इस भूमि में से वादीगण का नाम विलोपित कर दिया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर/श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.07.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर